पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने विधेयक को अनुमति प्रदान की

लखनऊ: 18 फरवरी, 2019

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2018 को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक 2018 द्वारा पूर्व में अधिनियमित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम 2002 की कतिपय धाराओं में संशोधन किया गया है तथा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के समान अपर आचार्य और प्रति-कुलपति के पदों के सृजन करने के साथ विश्वविद्यालय में अतिरिक्त संकायों के सृजन हेतु विनिश्चय किया गया है।

अंजुम/ललित/राजभवन (62/25)